न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—11/2018 (आरसीएमएस नं. 2018/00013)

1. बन्नाराम,
2. रामेश्वर,
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. कल्याण, जाति जाट, निवासी कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामधन पुत्र चन्दा,
2. रामदेव पुत्रान औंकार,
3. रामेश्वर,
4. जगदीश,
5. बद्री पुत्रान रामलाल जाति जाट, निवासी कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।
6. सरकार जरिये तहसीलदार फागी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 29.11.2017 (प्रकरण संख्या 16/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 679/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 680/2 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 686/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 687/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 690 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 691/1 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 697 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 698 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1424/700 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1426/700 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, उक्त अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि से रेस्पोडेन्टगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा उक्त अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान हेतु अपीलान्ट ने तहसीलदार फागी को दिनांक 12.04.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार फागी ने पटवारी हल्का समेलिया एवं गिरदावर हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करके तहसीलदार फागी ने उप तहसीलदार माधोराजपुरा ने दिनांक 15.06.2016 को सीमाज्ञान की शुल्क राशि 400/—रूपये जमा कराने के आदेश दिया गया तथा अपीलान्ट ने उक्त राशि जरिये चालान संख्या 117 दिनाक 15.06.2016 को बैंक में चालान जमा कराने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर उप तहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा अपीलान्ट की उक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये परन्तु उक्त भूमि की सीमाज्ञान नही होने ''प्रशासन आपके द्वार'' अभियान के तहत उसी पूर्व आदेश दिनांक 15.06.2016 के तहत कैम्प दोसरा में उपखण्ड अधिकारी फागी ने तहसीलदार फागी को सीमाज्ञान करने के आदेश प्रदान किया जिसकी पालना में कार्यवाही चल रही थी कि उक्त प्रशासनिक आदेश दिनांक 04.07. 2017 की अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपील प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमि पर फसल का बहाना लेकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा उक्त प्रशासनिक आदेश की न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने दिनांक 29.11.2017 को विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलबध तथ्यों के विपरित अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 पारित कया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत एक प्रशासनिक तहसीलदार के सीमाज्ञान के जो मूल आदेश दिनांक 15.06.2016 की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही के अन्तरिम आदेश दिनांक 04.07.2017 की अपील संधारण योग्य नही होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29. 11.2017 निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान आदेश लैण्ड रिकार्ड रूल 1957 के तहत तहसीलदार को जारी करने का क्षेत्राधिकार है उसकी अपील का प्रावधान नही है एवं प्रशासनिक आदेश पारित निर्णय की अपील क्षेत्राधिकार बहार होने से निर्णय दिनांक 29. 11.2017 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 6907 दिनांक 15.07.2014 की अनुपालना में भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा टीम गठित करके ग्राम समेलिया फागी व सदीक नगर व अजमेरी तहसील मालपुरा जिला टोंक की सीमाओं पर स्थित सेहदा जो मौके पर मौजूद है, से टकराया गया तो नक्शे के मुताबिक सही पाया गया तथा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2015 के समय अपीलान्ट राजेन्द्र व रेस्पोडेन्ट रामधन की मौजूदगी में एवं अन्य पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई तथा उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही के पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने बदनियति से अपीलान्ट की भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही रूकवाने हेतु पूर्व सैटलमेन्ट नक्शें में गलती के लिये एक दावा दुरूस्ती का दावा करके उसमें बिना किसी आधार के उक्त समरी प्रक्रिया को रोकने की कार्यवाही की है, जो प्राकृतिक न्याय के सहज सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी से रिकार्ड व मौके की यथास्थिति की स्थगन आज्ञा है जिसमें अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान की

P.T.O.

राजस्व अपील आयुक्त
जयपुर

कार्यवाही रोके जाने के आदेश कतई गलत है उसे नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की अलग–अलग कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियॉ है तथा वरवक्त सैटलमेन्ट सम्वत् 2011 से अलग–अलग खसरा नम्बरान है तथा दोनों पक्षों से पूर्व रिकार्डेड काबिज खातेदारों से अलग–अलग रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्रों द्वारा खरीदी है इस प्रकार क्रेताओं को पूर्व खातेदारों से ''बेटर टाईटल'' प्राप्त नही हो सकता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार फागी उप तहसीलदार माधोराजपुरा को आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि दिनांक 12.04.2016 को सीमाज्ञान का कोई प्रार्थना पत्र पेश गया है तो अप्रार्थीगण की जानकारी में नही है चूँकि तहसीलदार फागी द्वारा दिनांक 04.07.2017 को आदेश कैम्प दौसारा में 639–641 पारित किया गया है जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया होने के कारण खारिज फरमा दिया गया है, चूँकि उक्त उक्त आराजी पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी ने मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान कर रखे थे उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर तहसीलदार द्वारा उक्त सीमाज्ञान का आदेाश पारित किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है एवं उक्त आदेश के खारिज हो जाने से अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नही हुई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य विवादित खसरा नम्बरान की गलत तरमीम हो रखी है जिसको दुरूस्त करवाने के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहॉ वाद विचाराधीन है जिसका उनवानी रामधन बनाम तहसीलदार फागी जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे मे यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि वाके ग्राम समेलिया स्थित खसरा नम्बर 683, 676, 677, 675, 678, 680, 673, 684, 683 की जमाबन्दी में दर्ज रकबे व नक्शा लट्ठा में रकबा बरारी करने पर रकबा कम ज्यादा है तथा उक्त वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वाद के अन्तिम निर्णय तक दोनों पक्षों को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। उन्होने कथन किया है कि उक्त वाद में एक अन्य खातेदार भी पक्षकार है, ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ गलत तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2017 को निर्णित कर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही को वाद के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखने के आदेश प्रदान किये है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार फागी द्वारा पारित की गई आज्ञा क्रमांक कैम्प/दौसरा/639–641 दिनांक 04.07.'2017 विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के नक्शा ट्रेस में रकबा कम–ज्यादा होने के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी में नियमित वाद जैरकार है जिसमें आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति की स्थगन आज्ञा जारी की गई है। ऐसी ऐसी स्थिति में तहसीलदार फागी द्वारा पारित की गई आज्ञा क्रमांक कैम्प/दौसरा/639–641 दिनांक 04.07.2017 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा प्रकरण के तथ्यों की जॉच किये बिना ही पारित की गई है, जो कानूनन उचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 को यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहॉ विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय उपरान्त प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।